रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 159] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 1973/वैशाख 5, 1895

No. 159] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 1973/VAISAKHA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 24th April 1973

S.O. 246(E)/IDRA/18G/73.—In exercise of the powers conferred by section 18G and section 25 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely,

1. (i) This Order may be called the Cement Control (Second Amendment) Order, 1973.

(ii) It shall be deemed to have come into effect from the 15th December, 1972

2. In the Schedule to the Cement Control Order, 1967, in the second paragraph, for the words, abbreviations and figures "an additional price of Rs. 56.50 per tonne", the words, abbreviations and figures "an additional price of Rs. 62.20 per tonne" shall be substituted.

[No. 1-18/72-Cem.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1973

का० आ० 246(अ)/आई० डी० आर० ए०/18छ/73.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग कर हुए, केन्द्रीय सरकार सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम सीमेंट नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश 1973 है ।

(2) यह 15 दिसम्बर, 1972 से प्रभावी समझा जायेगा ।

2. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 की अनुसूची में द्विपक्षीय पैरा में "56 रु० 50 पैसे प्रति टन की अतिरिक्त कीमत" शब्दों, संक्षेपाक्षरों और अकों के स्थान पर "62 रु० 20 पैसे प्रति टन की अतिरिक्त कीमत" शब्द, संक्षेपाक्षरों और अंक रखे जायेंगे ।

[सं० 1–18/72–सीमेंट]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973